

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

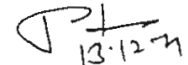
कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री / श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10 / 20 / 30 / वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम / द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे / पे-लेवल
1	नरेन्द्र कुमार उपाध्याय, राउमावि, रास्तापाल, डूंगरपुर	से०नि० प्रधानाचार्य	29-12-1955	04-08-1995	20	03-08-2015	04-08-2015	6800/-
2	मधुबाला शर्मा राजकीय एम एम उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर	से०नि० प्रधानाचार्य	19-09-1963	15-03-1991	30	14-03-2021	15-03-2021	L-17

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।


(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

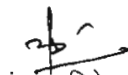
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 13-12-2021

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं०स० डूंगरपुर जिला डूंगरपुर को श्री नरेन्द्र कुमार उपाध्याय की मूल सेवापुस्तिका संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं०स० बीकानेर जिला बीकानेर को श्रीमती मधुबाला शर्मा की मूल सेवापुस्तिका संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
- 4 संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
- 5 संबंधित अधिकारी
- 6 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर